न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 14/16

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम

1. नवीन कुमार पुत्र लोकपाल कौम जाट साकिन नूंवा तहसील भादरा।
2. भविष्य कुमार पुत्र लोकपाल कौम जाट साकिन नूंवा तहसील भादरा।
3. कृष्ण कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन नूंवा तहसील भादरा।
4. प्रबंधक एचकेएसबी बैंक शाखा हनुमानगढ़।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : **सायल**
वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **अप्रार्थीगण सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 20.12.17

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नूंवा के खाता सं0 173/154 के खसरा सं0 245 में 0.6830 व 263 में 2.2510 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि में से खसरा सं0 263 की 0.700 है0 में बिना अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये गै0मु0 ईन्ट भट्टा लगाया जा रहा है। अर्थात् कृषि जोत के स्वरूप को परिवर्तन कर दिया गया है जो जोत की शर्तो व नियमों की अवहेलना है।

ग्राम नूंवा के खसरा सं0 263 में 0.700 है0 भूमि में खातेदारी द्वारा कृषि के लिए दी गयी जोत की शर्तो का उल्लंघन करके ईन्ट भट्टा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर दिया गया है जो काबिले सिवायचक रकबा राज घोषित किये जाना चाहिए।

उक्त कृत्य से भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर अप्रार्थी ने 90ए की कार्यवाही की नहीं कराकर राज्य सरकार की प्लान बद्ध योजनाओं, शर्तो व नियमों की अवहेलना की है जिससे राज्य सरकार को अपूर्णिय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है।

खातेदार द्वारा विधि विरूद्ध मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

कर रहा है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नही ली जा रही है व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नूंवा के खाता सं0 173/154 के खसरा सं0 245 में 0.6830 है0 व खसरा सं0 263 में 2.510 है0 बारानी कृषि भूमि खातेदारी में से गैरसायल सं0 1 व 2 की 5/6 हिस्सा और गैरसायल सं0 3 कृष्ण कुमार की 1/6 हिस्सा भूमि खातेदारी होना स्वीकार है गैरसायल सं0 1 व 2 की भूमि एचकेसीबी बैंक शाखा हनुमानगढ के रहन होना स्वीकार है परन्तु उक्त भूमि में से खसरा सं0 263 की 0.700 है0 भूमि में बिना अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये गैर मु0 भट्टा नहीं लगाया गया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भट्टा सन् 2005 में गैरसायल सं0 1 व 2 की माता मंजू रानी द्वारा चालू किया गया था उस वक्त उक्त कार्य हेतु भूमि रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं थी जिसका संचालन गैरसायल सं0 1 व 2 की माता सन् 2010 तक किया जाता रहा है उसके पश्चात् से उक्त भट्टा को बंद कर दिया गया जिसके अवशेष मात्र पड़े है उक्त कुल भूमि गैरसायलान कृषि कार्य हेतु उपयोग में लेते चले हा रहे है गैरसायल सं0 1 व 2 की माता मंजू रानी की मृत्यु दिनांक 21.11.2015 को हो चुकी है गैरसायल सं0 1 नवीन कुमार की उम्र 11 वर्ष और गैरसायल सं0 2 भविष्य कुमार की उम्र 8 वर्ष है जो उक्त दोनों नाबालिगान है इसलिए उक्त दावा नाबालिगान के विरूद्ध पेश किया गया होने के कारण कानूनन चलने के काबिल नहीं है। उक्त कृषि जोत के रूपरूप का कार्य नहीं किया गया और न ही कृषि जोत की शर्तों व नियमों की अवहेलना की गई है।

खसरा सं0 263 की 0.700 है0 खातेदारी गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में नहीं ली जा रही है जैसा कि उपरोक्त मद में जबाब दिया जा चुका है कि उक्त भूमि कुल कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है मात्र ईन्ट भट्टा के अवशेष पड़े है जो सन् 2010 में बंद कर दिया गया था इसलिए गैरसायलान किसी प्रकार के दण्ड के भागी नहीं है तथा गैरसायलान द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

गैरसयलान अपनी खातेदारी को गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग में नहीं ले रहे है इसलिए स्वीकृति व संपरिर्वतन न कराकर नियमों के उल्लंघन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैरसायलान द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है ना ही भूमि अकृषि कार्य के रूप में उपयोग की जा रही है। इस प्रकार सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। गैरसायल सं0 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी के किसी भी भू–भाग को अकृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थीगण ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य के उपयोग में ले रहे है जिससे राज्य सरकार को अपूर्णिय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (जिला-हनुमानगढ़)

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भट्टा सन् 2005 में गैरसायल सं0 1 व 2 की माता मंजू रानी द्वारा चालू किया गया था उस वक्त उक्त कार्य हेतु भूमि रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं थी जिसका संचालन गैरसायल सं0 1 व 2 की माता द्वारा सन् 2010 तक किया जाता रहा उसके पश्चात् से उक्त भट्टा को बन्द कर दिया गया, जिसके अवशेष मात्र पड़े है। उक्त कुल भूमि गैरसायलान कृषि कार्य हेतु उपयोग में लेते चले आ रहे है। बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्सा से अधिक भूमि की अकृषि कार्य में उपयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैरसायलान सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में आते है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण को विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक वाद भूमि ग्राम नुंवा के खाता सं0 173/154 के खसरा सं0 245 में 0.6830 है0 व 263 में 2.2510 है0 भूमि को रहन बैय व दिगर तरिके से मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाई रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़